<u>दो या अधिक शीर्षकों वाला आरोप</u>
न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, नाथद्वारा (राज.)

राज्य बनाम प्रकाश
अभियोग संख्या 12/2020 सेशन केस
अपराध धारा 341, 323, 302 भा.दं.सं.

(क) मैं लक्ष्मीकांत वैष्णव, पद अपर सेशन न्यायाधीश, नाथद्वारा

एतद्द्वारा आप .... पुत्र .... जाति ....

निवासी ....थाना..जिला...............................

.... पर निम्न आरोप लगाता हूँ कि :—

1. आपके विरूद्ध आरोप है कि आपने दिनांक 05.04.2020 को दिन में करीब 12:00 से 1:00 बजे के मध्य जिला राजसमंद के आरक्षी केन्द्र खमनोर के क्षेत्र ग्राम बड़ा भाणुजा में अपने घर पर अपनी माता परिवादिया रुकमणीबाई व पिता वाला को सदोष अवरूद्ध कर उन्हें गन्तव्य की ओर से जाने से निवारित किया। इस प्रकार आपने धारा **341** भा0 दं0 स0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2. आपके विरूद्ध यह भी आरोप है कि आपने उक्त दिवस, समय व स्थान पर परिवादिया आहता रुकमणीबाई के साथ लकड़ी आदि कुंदास्त्र से मारपीट कर उसके स्वेच्छया साधारण उपहतियां कारित कीं। इस प्रकार आपने धारा **323** भा0 दं0 स0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3. आपके विरूद्ध आरोप है कि आपने उक्त दिवस, समय व स्थान पर अपने पिता वाला की हत्या कारित करने के आशय से उसके साथ लकड़ी आदि से मारपीट कर उपहतियां कारित कर कीं जिसके परिणामस्वरूप वाला की मृत्यु हो गई। इस प्रकार आपने धारा **302** भा0 दं0 स0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है, जिसके तहत प्रसंज्ञान की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

(ग) और मैं एतद्द्वारा निर्देश देता हूं कि आपको उक्त न्यायालय द्वारा उक्त आरोपों के लिए परीक्षित किया जाए।

मुद्रा **न्यायाधीश के हस्ताक्षर**

अभियुक्त का अभिकथन
(धारा 255 व 271)

(1) आरोप आपको सुनाया व समझाया गया । क्या आप समझ गए कि आपके विरूद्ध क्या आरोप है ?

उतर :—

(2) क्या आप अपराध स्वीकार करते है ?

उतर :—